।।कार्यालय नगर पालिक निगम,दुर्ग।।

—:: निविदा प्रपत्र ::—

पशु विकय पंजीयन शुल्क वसूली ठेका

रसीद बुक कमांक.....

रसीद कमांक.....

दिनांक .....

निविदा प्रपत्र का मूल्य.....

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,दुग (छ.ग.)

विशयः— ठेका लेने हेतु ऑफर

संदर्भः— आपका विज्ञापन कमांक.....दिनांक.....

महोदय,

पशु विकय पंजीयन शुल्क वसूली ठेका वर्ष 2017—18 हेतु अर्थात् दिनांक .....से दिनांक .....तक की अवधि के लिए मेंरा ऑफर राशि रूपये.....अक्षरी ..... रूपये है।

ऑफर की शर्त मुझे स्वीकार है, इस हेतु निर्धारित अमानत राशि रूपये..... ...अक्षरी.....रूपये,डी.डी./बैंक ड्राफ्ट जमा कर दिया हूँ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

ड्राफ्ट कमांक.....

बैंक का नाम.....

दिनांक.....

ऑफरकर्ता

नाम.....

पिता का नाम.....

पता .....

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग।।

पशु बिकी पंजीयन शुल्क वसूली ठेका वर्ष–2017–2018 के लिए नीलामी/निविदा क नियम एवं शर्ते ::–

1. ठेके की अवधि अधिपत्य दिनांक से एक वर्ष तक के लिए होगा।
2. पशु बिकी का क्षेत्र संपूर्ण नगर पालिक निगम,दुर्ग क्षेत्र में होगा।
3. नीलामी /निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को बोली लगाने अथवा आफर देने के पूर्व धरोहर राशि जमा कराना अनिवार्य है बोली समाप्त होने अथवा निविदा खुलने के बाद उच्चतम बोलीदाता /आफरकर्ता की धरोहर राशि को रोक कर अन्य की जमा धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी। सफल बोलीदार/आफरकर्ता की जमा राशि को ठेका की अन्तिम किश्त जमा किये जाने वाली राशि में समायोजित की जा सकती। अथवा सफलतापूर्वक ठेका समाप्त होने पर वापस कर दी जावेगी।
4. उच्चतम बोली राशि राशि अथवा अधिकतम आफर राशि की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार महापौर,नगर पालिक निगम,दुर्ग को रहेगा, इस संबंध में उनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
5. मौके पर नीलामी/निविदा की कार्यवाही आयुक्त द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी और उसे अधिकार रहेगा, कि वह प्रर्याप्त बोली अथवा आफर न आने अथवा अन्य कारणों से जैसा कि वह उचित समझे नीलामी/ निविदा की कार्यवाही स्थगित कर अथवा निरस्त कर दें।
6. नीलामी/आफर की उच्चतम राशि की स्वीकृति उपरान्त उक्त राशि रू0 50% (प्रतिशत) जमा करना होगा। विहित समयानुसार राशि जमा नहीं किये जाने पर जमा अमानत राशि जप्त कर पुनः ठेका दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी। ठेका की कोश 50% राशि के 2 समान मासिक किश्तो में अग्रिम चेक (पोस्ट डेट) द्वारा देना होगा।
7. ठेकेदार ठेके की अवधि में अपने कार्य संचालन के लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारी रख सकेगा। परन्तु उक्त कर्मचारियों की सूची पूर्ण पता सहित निगम को प्रस्तुत करना होगा।
8. ठेके में लगने वाले स्टेशनरी सामान की व्यवस्था ठेकेदार की स्वयं के व्यय पर करना होगा। पशु बिकी पंजीयन शुल्क की वसूली के लिए ठेकेदार के मांग अनुसार बुक नगर पालिक निगम,दुर्ग प्रदाय किया जावेगा । परन्तु प्रदाय की गई रसीद बुक का मूल्य 70/–रू0 प्रति बुक की दर से ठेकेदार भुगतान केरगा।
9. यह कि कोई भी पशु सूर्योदय के पूर्व और सूर्योदय के पश्चात् आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना पंजीयन नहीं किया जा सकेगा।
10. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो नगर पालिक निगम, दुर्ग के सीमाओ के भीतर पशुओं का कय विकय करना है। विकय के तुरंत पश्चात निगम के अधिकृत ठेकेदार अथवा पदाधिकारी से पशु का पंजीयन करायेगा। पशु का पंजीयन केता एवं विकेता की उपस्थिति में और पशु के पेश करने पर किया जावेगा। परंतु यदि केता एवं विकेता हाजिर होने में असमर्थ हो तो रजिस्ट्रीकरण उनकी ओर से यथा नियुक्ति अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा कराया जा सकेगा।

11. पशु बिकी पंजीयन शुल्क की दरें नगर पालिक निगम,दुर्ग के द्वारा निर्धारित है, जो निम्नानुसार है ::–

1. भैंस ,जरसी गाय,साहीवाल हरियाणवी	– प्रति भैंस	– 150रू0
2. गाय देशी	– प्रति भैंस	– 75रू0
3. बैल	– प्रति गाय	– 100रू0
4. भैंस	– प्रति भैंस	– 100रू0
5. बछड़ा,बछिया,बकरा,बकरी,सुआर	– प्रति बैल	– 35रू0

12. शर्त कंडिका 12 में निर्धारित शुल्क ठेकेदार वसूल नहीं करेगा,यदि ऐसा करते हुए पाया गाया तो ठेका अनुबंध समाप्त की जा सकेगी।
13. यह कि कोई भी व्यक्ति पशु को रजिस्ट्रीकृत कराये बिना या लिखित फीस चुकाये बिना पशु बाजार से न तो जायेगा और न ही जाने का प्रयत्न करेगा । यदि ऐसा करता है तो वह आर्थिक दण्ड का भागीदार होगा। ठेकेदार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे पशु केता– विकेता से दंण्डित शुल्क जो 50/–रू0 से अधिक न हो वसूली कर सकेगा।
14. सफल बोलीदार/आफरकर्ता की ठेका स्वीकृत उपरान्त ठेका अनुबंध कराना होगा। बिना अनुबंध किये शुल्क वसूली का अधिकार नही दिया जावेगा।
15. उपरोक्त उल्लेखित शर्त कंडिका 1 से 15 तक में वार्णित किसी भी शर्तो के उल्लघंन पर अथवा विवाद की स्थिति में आयुक्त/महापौर, नगर पालिक निगम दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम,दुर्ग